

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-3प-खण्ड (i)

PART H—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 20, 2014/आश्विन 28, 1936

No. 542] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 2014/ASVINA 28, 1936

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

अधिसृचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2014

सा.का.िन. 735 (अ).—राष्ट्रपित, मंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, ममूह 'क' तथा समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका मंबंध मध्यम्थ, मंयुक्त मलाहकार, मंयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के पद से हैं, उन बातों के मिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थान् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1).—इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, समुह 'क' पद भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.--ये नियम इन से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपायद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध की किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों,आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सैंबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मध्यस्थ	1 * (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड - 4, 37600- 67000/- रुपए + ग्रेड वेतन 10000/- रुपए	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती ताध होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8) ाम् नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।	(10) प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारो या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 4, 37400-67000/- रुपए + ग्रेड वेतन 8700/- रुपए या इसके समतुल्य पदी पर तीन वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या
 - (iii) जिन्होने वेतन बैंड 3, 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7600/- रुपए या इसके समतुल्य पदों पर आठ वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों

अनिवार्य

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री ; और
- (ii) मध्यस्थता कार्य का बारह वर्ष का अनुभव
- टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. संयुक्त सलाहकार	2 * (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड - 4, 37600- 67000/- रुपए + ग्रेड वेतन 8700/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
नागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत
		अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार पर राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी मंगठनों के ऐसे अधिकारी –

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो, या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रू. + ग्रेड वेतन 7600/- रू. या इसके समतुल्य पदों पर 5 वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो, या
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हो -
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रयंधन में मास्टर डिग्री।
- (ii) उत्पादकता कार्यनिष्पादन, सुधार, मजदूरी एवं वेतन संरचना मूल्य अवधारण और नीतियों के क्षेत्र में पब्लिक सैक्टर की समस्याओं से निपटने का बारह वर्ष का अनुभव ।
- II. प्रतिनियुक्त अधिकारी के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले विभागीय संयुक्त निदेशक पर भी विचार किया जाएगा और पद पर उनके नियुक्ति के लिए चयन की दशा में, उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति मे ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(40)	
(12)	(13)
	(13)
1 and the state	
। लाग नहां होता	भाग स्थान भेटन असेन से स्थापक है।
2 6 6 6 6	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. संयुक्त निदेशक	2 * (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय मेवा, समूह 'क' राजपत्रित,	वेतन वैंड-3 15600- 39100 रू+ ग्रेड वेतन 7600/- रू	चयन	(७) लागू नहीं होता	(7) लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पचास प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा और पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अन्यकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति :

ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उप निदेशक

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब, जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी –

- (क) (i)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो ; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन बैंड -3 , 15600-39100 रू.+ ग्रेड वेतन 6600/- रू. पर या इसके समतुल्य पदों पर पांच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो ; या
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हो।
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर डिग्री या समतुल्य ; और
 - (ii) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में निगम प्रबंधकीय कृत्यों, जिसके अन्तर्गत प्रबंधक या कर्मचारीवृंद के वेतन और भत्ते भी शामिल है, 10 वर्ष का अनुभव; या

पब्लिक सेक्टर उद्यमों की संरचना, उद्देश्यों और नियंत्रण विपणन, मूल्यनिर्धारण नीतियों, निगम नीतियों की योजना और अन्य पहलुओं से संबंधित उनके प्रबंधकीय विकास और प्रशिक्षण संगठनात्मक, विपणन और वित्तीय पहलुओं का दस वर्ष का अनुभव

लोक उद्यम के संबंध में सूचना तंत्र और जन सम्पर्क मामलों जिनके अन्तर्गत संबंधित क्षेत्रों में प्रचार या अनुसंधान कार्य आयोजित करना भी है में 10 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त ब्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचा लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	र करने के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

2. सचिव, लोक उद्यम दिभाग

सदस्य

3. संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग

सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(-)
4. उप	(2014)	साधारण	वेतन वैंड-3		(6) 40 ਰਬੰ	(7)
निदेशक -	(2014) 5* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	वेतन वैड-3 15600- 39100 रू+ ग्रेड वेतन 6600/- रू	चयन	40 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	अनिवार्यः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर(एम.बी.ए.) डिग्री या समतुल्य; या (ii) लोक उद्यम के भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन के विश्लेषण में विशिष्टतः प्रबंधन और प्रशासन, संगठन, कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।
						टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले	चालीस प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर
	व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है)
		द्वारा और साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत
		अन्यकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी
		भर्ती द्वारा

प्रोन्नति: ऐसा सहायक निदेशक जिसने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी-

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु+ग्रेड वेतन 5400 रु. या इसके समतुल्य वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. या इसके समतुल्य वाले पद पर आठ वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; और
- (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव धारण किए हुए हों

टिप्पण 2:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3:- प्रतिनियक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) वि	नेम्नलिखित से	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित)
1. संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग	- अध्यक्ष	नियुक्त करते समय पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
2. निदेशक, लोक उद्यम विभाग	- सदस्य	
3. निदेशक या उप-सचिव, लोक उद्यम विभाग	- सदस्य	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि के संबंध में ि लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-	वेचार करने के	
1. संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग	- अध्यक्ष	

2. निदेशक, लोक उद्यम विभाग

- सदस्य
- 3. निदेशक या उप सचिव, लोक उद्यम विभाग
- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	5 *	साधारण	वेतन बैण्ड-3	चयन	35 वर्ष	आवश्यक:
सहायक	(2014)	केंद्रीय	15600-			(i) किसी मान्यताप्राप्त
निदेशक	* कार्यभार	सेवा,	39100 रु.	•	(केंद्रीय सरकार द्वारा	
	के आधार	समूह 'क'	+ ग्रेड वेतन		समय-समय पर जारी	अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या
	पर	Į.	5400/-रु.		किए गए अनुदेशों या	गणित में मास्टर डिग्री; या
	परिवर्तन किया जा	राजपत्रित,			आदेशों के अनुसार	किसी मान्यताप्राप्त
	सकता है।				सरकारी सेवकों के लिए	विश्वविद्यालय से व्यवसाय
	1 4441 61				5 वर्ष तक शिथिल की	प्रबंधन में मास्टर (एम,बी.ए.)
					जा सकती है।)	डिग्नी या इसके समतुल्य;
			,		नौट: आयु-सीमा	_
					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत	(ii) लोक उद्यम के भौतिक और
					में अभ्यर्थियों से आवेदन	वित्तीय कार्यनिष्पादन के
				:	प्राप्त करने के लिए	विश्लेषण में विशेषतया प्रबंधन
					नियत की गई अंतिम	और प्रशासन संगठन, कार्य
					तारीख होगी। (न कि	निष्पादन के मूल्यांकन के क्षेत्र में
					वह अंतिम तारीख जो	तीन वर्ष का अनुभव
					असम, मेघालय,	टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित
					अरूणाचल प्रदेश,	उम्मीदवारों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता को
					. '	शिथिल किया जा सकता है।
					मिजोरम, मणिपुर,	दिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता
					नागालैण्ड, त्रिपुरा,	(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के
					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर	विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या
					, ,	अनुसूचित जनजातियों के
					राज्य के लद्दाख खंड,	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल
					हिमाचल प्रदेश के	की जा सकती हैं जब चयन के किसी
					लाहोल और स्पीति जिले	प्रक्रम पर संघ लोक सैवा आयोग की
					तथा चम्बा जिले के पांगी	ि । ए । व र । क वनक । यद बारायात ।
					उपखंड, अंद्रमान एवं	रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित
					निकोबार द्वीप तथा	अनुभव रखनै वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के	जम्याययाः कः पयाप्तः सङ्याः म उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
			2		लिए विहित की गई है।)	त्रवाञ्च ६६३ वस समायता तथि थि।
L		<u> </u>	<u> </u>			

	(8)	(9)	(10)
लागू	नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और बीस
		एक वर्ष	प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत
	·		अल्पकालिक संविदा भी है) या
		•	आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर
			सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति:

वरिष्ठ अन्वेषक जिसने उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो

टिप्पण 1 : इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक ग्रेड पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा या आमेलन भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी-

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600/- रु. पर या इसके समतुल्य वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; या
 - (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु. पर या इसके समतुल्य वाले पद पर आठ वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो; और
 - (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव धारित किये हुए हों

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अधिकारी आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)) निम्नलिखित से	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से
मिलकर बनेगी:-		परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष या सदस्य	- अध्यक्ष	
संघ लोक सेवा आयोग		
2. संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग	- सदस्य	
3. निदेशक, लोक उद्यम विभाग	- सदस्य	
4. निदेशक या उप-सचिव, लोक उद्यम विभाग	- सदस्य	·
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निर्म्ना	लेखित से मिलकर	
बनेगी-		
1. संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग	- अध्यक्ष	
2. निदेशक, लोक उद्यम विभाग	- सदस्य	,

3. निदेशक या उप सचिव, लोक उद्यम विभाग

- सदस्य

[फा. सं. ए-12018/1/98-प्रशा.] ज्योति माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Public Enterprises)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2014

- G.S.R. 735(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Group A and B Posts Recruitment Rules, 2001, in so far as it relates to the posts of Arbitrator, Joint Adviser, Joint Director, Deputy Director and Assistant Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group A posts in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Group A posts Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment to the said posts, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications, and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualifications.—No person,—
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

			SCHEDULE			
Name of post		ber of post	Classification		Pay band and grade pay/ pay scale	
	(2)		(3)		(4)	
1. Arbitrator	1* (2014 *Subject depender) to variation it on workload.	General Central Ser 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	vice, Group	Pay Band- with grade	4, Rs. 37400 – 67000 pay of Rs. 10000/-
Whether selection post. or non-selection post	Age limit fo Direct recrui	ts qual	cational and other ifications required for et recruits	Whether age educational qualification for direct recapply in the promotees	ns prescribed cruits will	Period of probation, if any
Not applicable	Not applicab	1-	(7)	(8)		(9)
THE applicable	Not applicab	le Not a	applicable	Not applicab	le	Not applicable
Method of recruitment whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of Recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from whichpromotion/ deputation/ absorption to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)		(11)		(12)		(13)
Deputation (including term contract)	co Oi Sta Te Se Go Sta (a) reg (ii) pos 670 equ (iii) pos 39) equ (b) edu exp	intract): fficers of the Coate Government or Underta overnment or attutory organisa (i) holding gular basis; or with three yeast in Pay Bar (2000 with grade nivalent; or) with eight yeast in Pay Ban (100 with grade nivalent; and possessin	niversities or Public kings or Semi-Autonomous or analogous post on ars regular service in nd-4, Rs. 37400 — pay of Rs. 8700/- or ars regular service in d-3. Rs. 15600 — pay of Rs. 7600/- or	Not applie	cable	Consultation with Union Public Service Commission Necessary.
	reco (ii) arbi Not contr cont med the s	ognised Univers twelve yes tration work. e 1: Period act including p ract in another iately preceding ame or some o	ars experience in			

iall ordinarily not to exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

2. Joint Adviser

2* (2014)

*Subject to variation

General Central Service, Pay Band - 4, Rs. 37400 - 67000 with grade pay of Rs. 8700/-

Group 'A'. dependent on workload. Gazetted,

Non-Ministerial.

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
	and vertical attachments are attached	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		THE PARTY OF THE P

Promotion/deputation (includingshort term contract).

(10)

I. Deputation (including short-term contract):

(11)

Officers of the Central or State Governments or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years regular service in post in Pay Band-4. Rs. 15600 - 39100 with grade pay of Rs. 7600/- or egulvalent; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
- Master's Degree in Commerce or Economics or Statistics or Mathematics from a recognised University;

Master's degree in Business Administration from recognised University; and

- (ii) twelve years experience in handling problems of public sector in the areas of productivity performance. improvement. wage and salary structure, pricing and policies.
- II. The Departmental Joint Director with five years regular service in the grade shall be considered along with deputationists and in case he or she is selected for

Not applicable.

(12)

Consultation with Union Public Service Commission necessary.

appointment to the post the same shall be treated as filled having been promotion.

[Period ofdeputation short-term (including contract) in another ex-cadre held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years].

The maximum age limit for appointment by deputation short-term (including contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

3. Joint Director

2*(20t4)

*Subject to variation dependent upon workload. General Central Service, Group "A", Gazetted.

Pay Band - 3, Rs. 15600 - 39100 with

grade pay of Rs. 7600/-

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Fifty by per cent promotion failing which by deputation short-term (including contract) and fifty per cent by deputation (including short-term contract)

(10)

Promotion:

Deputy Director with five years regular service in the grade.

(11)

Where juniors who have Note: completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including

short-term contract)

Officers under the Central or State Governments or of Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory Autonomous or Organisations:

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with five years regular service in posts in Pay Band - 3, Rs. 15600 -

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) -1. Chairman or Member, Union Public Service

(12)

Commission - Chairman 2. Secretary, Department Public Enterprises - Member

Joint 3. Secretary, Department of Public Enterprises - Member.

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(13)

39100 with grade pay of Rs. 6600/- or equivalent; and

- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
- (i) Master's Degree in Commerce or Economics or Statistics or Mathematics from a recognised University; or Master's Degree in Business Administration from a recognised University or equivalent; and
- (ii) ten years experience in corporate managerial function including pay and allowances of managers or workers of the industrial and commercial undertakings of the Central Government;

or

ten years experience of management development and training organisational, marketing and financial aspects of public sector enterprises relating to their structure, objectives and control, marketing and pricing policies, planning and other aspects of corporate policy;

or

ten years experience in information systems and public relations matters in respect of public enterprises including publicity or organising research work in relevant areas.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment or deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation or contract including period of deputation or contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

4. Deputy Director

5* (2014) *Subject to variation dependent on workload. General Central Service, Group 'A'. Gazetted.

Pay Band - 3, Rs. 15600 - 39100 with grade pay of Rs. 6600/-

(5)(6)(7)(8)(9)Selection. 40 years Essential: Not One year (Relaxable for Master's (i) Degree applicable. for direct Government Commerce or Economics or recruits. servants upto five Statistics or Mathematics years in accordance from a recognised with the instructions university: or or orders issued by Master's Degree in Business the Central Administration from Government from recognised university time to time). equivalent; and (ii) Five years experience in Note: The crucial analysis of physical and date for determining financial performance the age limit shall public enterprises, be the closing date particularly in the fields of receipt Management applications from Administration, Organization, candidates in India Evaluation of Performance. (and not the closing Note 1: Qualifications are date prescribed for relaxable at the discretion of those in Assam, the Union Public Service Meghalaya, Commission in case Arunachal Pradesh, candidates otherwise well Mizoram, Manipur, qualified. Nagaland, Tripura, Note 2: The qualifications Sikkim. Ladakh regarding experience is or are Division of Jammu relaxable at the discretion of and Kashmir State. the Union Public Service Lahul and Spiti Commission in the case of District and Pangi candidates belonging to Sub-Division Scheduled Castes and Chamba District of Scheduled Tribes, if at any Himachal Pradesh. stage of selection the Union Andaman and Public Service Commission is Nicober Islands or of the opinion that sufficient Lakshadweep). number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to

(10)

(11)

fill up the vacancies reserved

(12)

(13)

Forty per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract) and sixty per cent. by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.

Promotion: Assistant Director with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for 2. Director, Department of Public promotion, their seniors shall also be Enterprises - Member considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and

for them.

Group 'Α' Departmental Promotion Committee promotion) consisting of: -1. Joint Secretary, Department of Public Enterprises - Chairman

3. Director or Deputy Secretary, Department of Public Enterprises -Member Group Departmental Promotion Committee (for

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing officer on deputation (including short-term

have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term

contract):

Officers under the Central or State Governments or of Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:

(a) (i) holding analogous post on regular basis: or

(ii) with five years regular service in posts in the pay band-2 of Rs. 9300 -34800 with grade pay of Rs. 5400 or equivalent; or

(iii) with eight years regular service in post in the pay band-2 of Rs. 9300 -34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: Period of deputation (including short-term contract) period deputation or contract in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

considering confirmation) contract), consisting of ; ==

1. Joint Secretary, Department of Public Enterprises - Chairman

2. Director, Department of Public Enterprises - Member

3. Director or Deputy Secretary, Department of Public Enterprises -Member

5. Assistant Director

(5)

5* (2014)

*Subject to variation dependent on workload.

the closing date for receipt of

applications from candidates in

Gazetted.

General Central Service.

Pay Band - 3, Rs. 15600 - 39100 with

Group 'A', grade pay of Rs. 5400/-

Selection 35 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be

(6)

(7)**Essential:**

(i) Master's Degree in Commerce or Economics or Statistics or Mathematics from a recognised university; or Master's Degree in Business Administration from a recognised university or equivalent;

(ii) Three years experience in analysis of physical and financial performance of public enterprises, particularly in the

(8)(9)Not One year for applicable direct recruits

India (and not the closing date prescribed for those in Assam. Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur. Nagaland. Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State. Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicober Islands or Lakshadweep).

fields of Management, Administration, Organisation and Evaluation of Performance.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancles reserved for them.

Eighty per cent.
by promotion
and twenty per
cent. by
deputation
(including
short-term
contract) or
Absorption
falling both by
direct
recruitment.

Promotion:

Senior investigator with eight years regular service in the grade.

Note I: The eligibility service shall continue to be same for persons holding the feeder grade post on regular basis on the date of Notification of these rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualitying eligibility service are being considered for promotion, their sentors shall also be considered provided they are not short of the regulaite qualifying or eligibility service by more than half of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract or absorption):

Officers under the Central or State Governments or of Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (II) with five years regular service in posts in the PB-2 Rs. 9300 34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent; or

(iii) with eight years regular service in

Group 'A' Departmental Promotion
Committee (for promotion) :-

- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission = Chairman
- 2. Joint Secretary, Department of Public Enterprises Member
- 3. Director, Department of Public Enterprises Member

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation):-1. Joint Secretary, Department of Public Enterprises – Chairman

 Director, Dopartment of Public Enterprises — Member

3. Director or Deputy Secretary, Department of Public Enterprises = Member

Consultation
with Union
Public
Service
Commission
is necessary
on each
occasion.

post in PB-2 Rs. 9300 - 34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including shortterm contract) period of deputation or contract in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fiftysix years as on the closing date of receipt of applications.)

Note 3: Only officers belonging to Central or State Government or Union Territories are eligible to be considered for appointment on absorption basis.

[F. No. A-12018/1/98-Admn.]
JYOTI MATHUR, Under Secy.